दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय सुरक्षित: 22.01.2024
निर्णय उद्घोषित: 31.01.2024

<u>वै.आ.(परि.न्या.) 29/2024 एवं सि.वि.आ. 3805/2024</u>

गगनदीप सिंह ....अपीलकर्ता

द्वारा: श्री आशीष नेगी, अधिवक्ता

बनाम

भूमिका ....प्रत्यर्थी

द्वारा: कोई नहीं

कोरम:
माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव शकधर
माननीय न्यायमूर्ति श्री अमित बंसल
[भौतिक सुनवाई/हाइब्रिड सुनवाई (अनुरोध अनुसार)]

<u>न्या., राजीव शकधर:</u>

I. प्रारंभिक तथ्य:

1. प्रारंभ में, हमें यह बताना चाहिए कि अपीलार्थी/पति के अनुसार भी, अपील दायर करने में 195 दिनों की देरी है। हालांकि, हम इस मामले को गुणागुण के आधार पर निपटाने का इरादा रखते हैं क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि इस मुद्दे को अन्य मामलों में भी उठाया जा सकता है।

2. वर्तमान अपील के माध्यम से, अपीलकर्ता/पति विद्वान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय-1, दक्षिण साकेत, दिल्ली [इसके बाद "परिवार न्यायालय" के रूप में संदर्भित] द्वारा पारित दिनांक 08.06.2023 के आदेश को चुनौती देना चाहता है, जिसके तहत, परिवार न्यायालय ने प्रत्यर्थी/पत्नी एवं प्रत्यर्थी/पत्नी द्वारा पैदा हुए नाबालिग बच्चे को पितृत्व परीक्षण करने के लिए अपने रक्त के नमूने देने का निर्देश जारी करने की मांग करने वाले उसके आवेदन को खारिज कर दिया। इस तरह के निर्देश की मांग करने वाले अपीलार्थी/पति के पीछे स्पष्ट उद्देश्य प्रत्यर्थी/पत्नी के व्यभिचारी आचरण को स्थापित करना है, जिसमें बच्चा प्यादा है।

3. इस केंद्रीय मुद्दे की पृष्ठभूमि में, निम्नलिखित तिथियों और घटनाओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए, जो विवाद में नहीं हैं।

3.1 दिनांक 05.10.2008 को, विवादियों के बीच विवाह संपन्न हुआ।

3.2 दिनांक 18.07.2014 पर, प्रत्यर्थी/पत्नी ने एक बालक को जन्म दिया।

3.3 अपीलार्थी/पति द्वारा दिनांक 31.01.2020 को विवाह विच्छेद के लिए याचिका दायर की गई थी। जिस प्रमुख आधार पर उक्त विवाह विच्छेद याचिका दायर की गई थी, वह क्रूरता पर आधारित है। इसलिए, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (संक्षेप में, "एचएमए") की धारा 13(1)(झक) के प्रावधानों का सहारा लिया गया। अपीलार्थी/पति का प्रकथन है कि विवाह विच्छेद की कार्रवाई दायर

करने के बाद ही प्रत्यर्थी/पत्नी ने घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 [संक्षेप में, "घरेलू हिंसा अधिनियम"] के तहत संबंधित न्यायालय के समक्ष एक याचिका [एमसी/298/2020] दायर की।

3.4 दिनांक 03.11.2020 पर, अपीलार्थी/पति ने विवाह विच्छेद याचिका में संशोधन की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया। इस आवेदन के माध्यम से, अपीलार्थी/पति ने ऐसे पैराग्राफ को शामिल करने की मांग की, जो उनके अनुसार, यह स्थापित करेगा कि वह एजोस्पर्मिया से पीड़ित था [यानी "शून्य शुक्राणु"] एवं इसलिए, कथित रूप से प्रत्यर्थी/पत्नी के साथ अपने विवाह से जन्मे बच्चे पर उसके पितृत्व की छाप नहीं थी।

3.5 अभिलेख से पता चलता है कि दिनांक 11.11.2022 के आदेश के माध्यम से, परिवार न्यायालय के न्यायाधीश ने लंबित विवाह विच्छेद याचिका में संशोधन की मांग करने वाले आवेदन को अनुमति दी, अलबत्ता, प्रत्यर्थी/पत्नी को 3,000/- रुपये के जुर्माने के भुगतान किए जाने के अधीन। प्रत्यर्थी/पत्नी को संशोधित लिखित कथन दायर करने का निर्देश दिया गया था। इसी तरह, अपीलार्थी/पति को संशोधित लिखित कथन की प्रतिकृति दायर करने की अनुमति दी गई थी।

3.6 यह इस पृष्ठभूमि के खिलाफ है कि अपीलार्थी/पति ने दिनांक 30.01.2023 को एक आवेदन दायर किया, जिसके तहत, वास्तव में, परिवार न्यायालय से इस आशय का निर्देश मांगा गया था कि प्रत्यर्थी/पत्नी और बच्चे

को उनके रक्त के नमूने देने के लिए कहा जाए ताकि नाबालिग बच्चे के पितृत्व का पता लगाया जा सके।

3.7. परिवार न्यायालय ने अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। परिवार न्यायालय ने अपने निर्णय को मोटे तौर पर इस विनिश्चय पर आधारित किया कि चूंकि अपीलकर्ता/पति 2008 के बीच प्रत्यर्थी/पत्नी के साथ रहता था, जब शादी हुई थी, और 2019 में जब उन्होंने अलग रहना शुरू किया, तो बच्चे के पितृत्व पर विधि की उस धारणा के तहत प्रश्न नहीं उठाया जा सकता था जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (संक्षेप में, "साक्ष्य अधिनियम") की धारा 112 बनाती है। परिवार न्यायालय ने अपने निष्कर्ष का समर्थन में ***अपर्णा अजिंक्य फिरोदिया बनाम अजिंक्य अरुण फिरोदिया*** 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 161 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया। परिवार न्यायालय ने विशेष रूप से उल्लेख किया कि अपीलार्थी/पति ने यह अभिकथन नहीं किया था कि उपरोक्त अवधि में प्रत्यर्थी/पत्नी तक उनकी कोई पहुंच नहीं थी।

II. विश्लेषण एवं कारण:

4. अपीलार्थी/पति के विद्वान अधिवक्ता को सुनने और अभिलेख का अध्ययन करने के बाद, हमारा विचार इस प्रकार है।

4.1 जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, विवाह, बच्चे के जन्म और जिस अवधि के दौरान पक्षकार एक साथ रहते थे, उससे संबंधित तिथियां और घटनाएं विवाद में नहीं हैं। इसलिए, अपीलार्थी/पति और प्रत्यर्थी/पत्नी के बीच वैध विवाह के जारी रहने के दौरान बच्चे का जन्म बच्चे की वैधता के लिए चुनौती को तब तक बंद कर देगा जब तक कि विवादियों के बीच, जैसे कि बच्चे और उनके माता-पिता के बीच, पितृत्व स्वयं एक मुद्दा न हो। विशेष रूप से, वर्तमान मामले में वाद उन विवादियों/जोड़े के बीच है जिन्होंने दिनांक 05.10.2008 को विवाह किया। अपीलार्थी/पति के अनुसार, प्रत्यर्थी/पत्नी द्वारा उस पर की गई क्रूरता के कारण विवाह को भंग कर दिया जाना चाहिए। जैसा कि ऊपर कहा गया है, इस संबंध में एचएमए की धारा 13(1)(झक) के प्रावधानों का सहारा लिया जाता है। इस तरह से विवाह विच्छेद की कार्रवाई शुरू में तैयार की गई थी। शुरुआत में, अपीलार्थी/पति ने इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया था कि क्योंकि वह एजोस्पर्मिया से पीड़ित था, इसलिए प्रत्यर्थी/पत्नी इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन [आईवीएफ] या शुक्राणु दाता द्वारा से गर्भ धारण नहीं कर सकते थे। इस पहलू को एक संशोधन आवेदन के माध्यम से दिनांक 03.11.2020 को और उसके बारे में पेश किया गया था, जिसकी अनुमति दी गई थी, जैसा कि दिनांक 11.11.2022 को ऊपर देखा गया है।

5. एजोस्पर्मिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति के स्खलन में शुक्राणु नहीं होते हैं। दूसरे शब्दों में, वीर्य में जीवित शुक्राणुओं की अनुपस्थिति

होती है। ऐसी स्थिति के लिए विभिन्न कारण हो सकते हैं, जिसमें नलिकाओं या धमनियों में बाधा, यानी प्रजनन पथ, या यहां तक कि संक्रमण, प्रतिगामी स्खलन या शुक्राणु जनन के कारण भी हो सकते हैं। इस प्रकार, एज़ोस्पर्मिया को दो शीर्षों के तहत वर्गीकृत किया गया है: अवरोधक एवं गैर-अवरोधक।

5.1 इस प्रकार, इस तरह की पीड़ा के कई कारण हैं, जिनमें से कुछ का इलाज किया जा सकता है, जबकि अन्य मामलों में, जीवित शुक्राणु को पुनः प्राप्त करना संभव है, जिसका उपयोग आईवीएफ जैसी सहायक प्रजनन तकनीकों में किया जा सकता है।

6. इसलिए, किसी भी चीज के अलावा, यह संभावना के दायरे में है, इसके विपरीत अपीलार्थी/पति के दावे के बावजूद, कि बच्चा उसके पितृत्व का वहन करता है। ऐसा कहने पर, अपीलार्थी/पति का यह स्थापित करने का प्रयास कि प्रत्यर्थी/पत्नी ने अपीलार्थी/पति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के साथ स्वेच्छा से यौन संबंध बनाए थे-एक ऐसा पहलू है जो परिवार न्यायालय के समक्ष वाद का विषय बन सकता है।

7. हमारी राय में, अपीलार्थी/पति, एक तरफ से, उस बच्चे के हित को प्रभावित नहीं कर सकते हैं जो कार्यवाही में पक्षकार नहीं है। परिवार न्यायालय को इस साक्ष्य को ध्यान में रखना होगा कि पक्षकार इस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं, जैसा कि अपीलार्थी/पति द्वारा सुझाव दिया गया है कि प्रत्यर्थी/पत्नी ने अपीलार्थी/पति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के साथ स्वेच्छा से यौन संबंध

बनाए थे। प्रत्यर्थी/पत्नी के बीच व्यभिचारी संबंध थे या नहीं, यह बच्चे के पितृत्व परीक्षण के बिना देखा जा सकता है। ***अपर्णा अजिंक्य फिरोदिया बनाम अजिंक्य अरुण फिरोदिया*** 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 161 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई निम्नलिखित टिप्पणियों में यह दृष्टिकोण प्रतिध्वनित होता है:

> *"122. जैसा कि अपीलकर्ता की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हुज़ेफा अहमदी ने उचित रूप से प्रतिविरोध किया है की* ***यह प्रश्न कि क्या बच्चे पर डीएनए परीक्षण की अनुमति दी जानी चाहिए, का विश्लेषण बच्चे के नज़रिये से किया जाना चाहिए न कि माता-पिता के नज़रिये से। बच्चे को मोहरे के रूप में यह दिखाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है कि बच्चे की मां व्यभिचारी थी। प्रत्यर्थी-पति के लिए यह अवसर हमेशा उपलब्ध रहता है कि वह अन्य साक्ष्यों से पत्नी के व्यभिचारी आचरण को साबित करे, लेकिन बच्चे के पहचान के अधिकार का त्याग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।*** "
>
> [जोर दिया गया है]

8. इस मामले में, माना जाता है कि विवाद करने वाले/दंपति 2008 और 2019 के बीच पति-पत्नी के रूप में एक साथ रहते थे। इस निर्विवाद तथ्य को देखते हुए, साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 के तहत वैधता के पक्ष में धारणा नाबालिग बच्चे के संबंध में सामने आती है। अपीलार्थी/पति के खिलाफ यह भी महत्वपूर्ण है कि उसने नवंबर 2020 तक बच्चे के पितृत्व पर सवाल नहीं उठाने का फैसला किया, जब उसके द्वारा संस्थित की गई विवाह विच्छेद की कार्रवाई में संशोधन की मांग करने के लिए एक आवेदन दायर किया गया था।

इस प्रकार, क्या प्रत्यर्थी/पत्नी एक व्यभिचारी संबंध में शामिल थे, जैसा कि आरोप लगाया गया है, यह एक ऐसा पहलू है जिस पर विचारण चलाया जाना चाहिए।

III. निष्कर्ष:

9. इस प्रकार, पूर्वगामी चर्चा को देखते हुए, हम निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई उचित कारण नहीं पाते हैं। तदनुसार, अपील खारिज की जाती है। लंबित आवेदन को अप्रभावी बना दिया जाता है और इसलिए इसे बंद किया जाता है।

(राजीव शकधर)
न्यायमूर्ति

(अमित बंसल)
न्यायमूर्ति

31 जनवरी, 2024/टीआर

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*